गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड में भवन निर्माण कार्यों हेतु निविदा डाले जाने हेतु नियम एवं शर्तें।

1 : निविदादाता को विगत तीन वर्षो में धनराशि रू0 120.00 लाख का एक कार्य अथवा रू0 75.00–75.00 लाख के दो अथवा रू0 60.00–60.00 लाख के तीन भवन निर्माण से सम्बन्धित कार्य सन्तोषजनक रूप से करवाये जाने का अनुभव होना अनिवार्य है तथा निविदा के साथ अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

2 : निविदा Two bid system के आधार पर आमन्त्रित की जाती है। निविदादाता द्वारा दो अलग अलग सीलबंद लिफाफों जिसमें एक में तकनीकी बिड (पंजीकरण, तकनीकी कार्मिकों की उपलब्धता, टी0एण्ड पी0 का विवरण, अनुभव प्रमाण पत्र तथा धरोहर राशि) व दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर दोनों लिफाफे एक बडे लिफाफे में सीलबंद कर निविदा बाक्स में निर्धारित तिथि तथा समय पर डालने होंगे।

3 : निविदादाता के पास आर0सी0सी0 कार्य हेतु कम से कम 2000 वर्गमीटर पक्की शटरिंग (स्टील / वाटर प्रूफ प्लाई), पिन एवं प्लेट वाईब्रेटर, मिक्सर मशीन, लिफ्ट सिस्टम होना अनिवार्य है तथा निविदा के साथ उक्त सम्बन्धी शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

4 : निविदा में दरें स्याही से शब्दों तथा अंको में अंकित की जानी चाहिए, कम अंकित दर ही मान्य होगी।

5 : भवन निर्माण सम्बन्धी समस्त सामग्री कार्यालय समय के पूर्व अथवा पश्चात कार्य स्थल पर एकत्र की जायेगी।

6 : भूतल से तृतीय एवं चतुर्थ तल पर सामग्री एवं लेबर ले जाने हेतु अलग से व्यवस्था करनी होगी जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय नहीं होगा।

7 : निविदा प्रपत्र के साथ रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर कर सलंग्न करना आवश्यक है जिस पर यह अंकित हो कि निविदा की वैधता की निर्धारित अवधि से पूर्व यदि वह अपने निवेदन को वापस लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

8 : धरोहर राशि राष्ट्रीयकृत बैंक की नवीनतम एफ0 डी0 आर0 / सी0 डी0 आर0 / राष्ट्रीय बचत पत्र / किसान विकास पत्र के रूप में अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में देय होगी।

9 : आयकर एवं व्यापारकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह के अन्दर कटौती के प्रमाण पत्र ठेकेदार / फर्म कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें, विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी नही होगा।

10 : सर्शत एवं अपूर्ण निविदायें मान्य नही होगी।

11 : निविदादाता निविदा डालने से पूर्व स्वयं स्थल निरीक्षण कर लें अन्यथा इस सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नही होगा।

12 : अधोहस्ताक्षरी को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

13 : साझेदारी में दी गई निविदा के साथ सत्यापित पार्टनरशिप डीड सलंग्न करना अनिवार्य है।

14 : निविदा में मदों की मात्रा आवश्कतानुसार घटाई/बढाई/समाप्त की जा सकती है जिसका कोई अतिरिक्त क्लेम मान्य नही होगा।

15 : विभाग द्वारा ठेकेदार को कोई निर्माण सामगी उपलब्ध नही करायी जायेगी। यदि कोई निर्माण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी तो उसकी कटौती नियमानुसार बिल से की जायेगी।

16 : सीमेंट 43 ग्रेड ओ0पी0सी0, आई0एस0 8112–1989 के अनुरूप ए0सी0सी0/सी0सी0आई0 /अम्बुजा /विक्रम को प्रयुक्त किया जायेगा।

17 : Fe 415TMT Bar (SAIL/ TATA TISCON / RINL/ VIMAL) आई0एस0 1786–1986 ;के अनुरूप प्रयुक्त किया जायेगा तथा प्रत्येक लॉट का टैस्ट सर्टिफिकेट देना आवश्यक है।

18 : निर्माण कार्य हेतु कार्य स्थ.ल पर पानी / विधुत की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी तथा इस मद में अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।

19 : निविदादाता को निविदा के साथ व्यापारकर व ई0पी0एफ0 पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

20 : विभाग /उत्तराखण्ड शासन की तकनीकी जॉच समिति अथवा उच्चाधिकारियों द्वारा कार्य गुणवत्ता में कमी के कारण यदि कोई वसूली प्रस्तावित की जाती है, तो वह ठेकेदार से की जायेगी एवं निर्माण कार्य की जॉच हेतु की गयी तोड़–फोड़ को ठीक करने का कार्य सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा।

प्रधान प्रबन्धक (निर्माण)
गढवाल मण्डल विकास निगम लि0
74/1 राजपुर रोड, देहरादून।

dora/ tender form & cond/ ho con